HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13018/2025

Avatar S/o Balveer, Aged About 29 Years, R/o Santhalka, Police Station Bhiwadi Phase-Iiird, Tehsil Tapukda, District Khairthal-Tijara. (At Present Confined In Central Jail, Alwar)

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Gajender Singh Rathore Mr. Rohit Sharma Ms. Neetu Mathur
For Respondent(s)	:	Ms. Aarti Sharma, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

26/02/2026

प्रार्थी की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना भिवाड़ी फेस तृतीय, जिला–भिवाड़ी में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 245/2023 अपराध अन्तर्गत धारा 302, 201, 109, 177, 120बी भारतीय दण्ड संहिता में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी का नाम अंकित नहीं है। प्रकरण में चाकू से मृतक सुरेन्द्र पर चोट कारित करना बताया गया है, लेकिन प्रार्थी के आधिपत्य से कोई चाकू बरामद नहीं हुआ है। वास्तविकता में घटना की दिनांक 03.09.2023 को वह एक अन्य प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 55/2023 में अभिरक्षा में था। उनका तर्क है कि प्रार्थी पर सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर षड़यंत्र करने का आक्षेप है, परन्तु मृतक के साथ प्रार्थी की किसी प्रकार की पुरानी रंजिश होने के संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। अभियुक्त दिनांक

01.12.2023 से अभिरक्षा में है तथा प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त ने ही हत्या का षड़यंत्र किया था और उसके कहने पर ही सहअभियुक्त ओमप्रकाश उर्फ टिंकू ने सुरेन्द्र पर चाकू से वार कर उसकी हत्या कारित की है। घटना में प्रयुक्त चाकू व मोबाईल सहअभियुक्तगण की निशादेही से प्रार्थी–अभियुक्त के घर से ही बरामद हुआ है। जेल से प्रार्थी–अभियुक्त की सहअभियुक्तगण के साथ हुई वार्तालाप की साक्ष्य भी पत्रावली पर मौजूद है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व के 16 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें से 03 प्रकरण हत्या व उससे भिन्न 03–04 प्रकरण हत्या के प्रयास, लूट व अपहरण के हैं। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध गम्भीर अपराधों का अभियोग है। अतः अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध धारा 302, 201, 109, 177, 120बी भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों का अभियोग है। प्रार्थी पर सहअभियुक्त ओमप्रकाश उर्फ टिंकू के साथ मिलकर षड़यंत्र रचते हुए मृतक सुरेन्द्र की हत्या कारित करने का आक्षेप है। प्रकरण की घटना में प्रयुक्त खून आलूदा चाकू, कैपरी आदि सहअभियुक्त ओमप्रकाश उर्फ टिंकू की निशादेही से प्रार्थी–अभियुक्त के घर से बरामद किये गये हैं। प्रार्थी–अभियुक्त की जेल में रहते हुए सहअभियुक्त ओमप्रकाश उर्फ टिंकू से वार्तालाप होना पाया गया है, जिसकी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है, जिससे प्रार्थी–अभियुक्त की घटना में संलिप्तता प्रथम दृष्टया प्रकट होती है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध **पूर्व के 16 आपराधिक प्रकरण संस्थित** हैं, जिनमें से **03 प्रकरण हत्या** के होकर इसी प्रकृति से संबंधित हैं तथा इसके अतिरिक्त संस्थित **शेष प्रकरण हत्या के प्रयास, लूट, अपहरण, मारपीट व आयुध अधिनियम** के हैं, जिससे प्रार्थी–अभियुक्त आदतन अपराधी होना प्रकट होता है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध गम्भीर अपराधों का अभियोग है। उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

VISHAL SHARMA /07